

कार्यालय उन वन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone @ Fax No&01372252149

Email-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- 2782 /12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 10/01/2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/42515/2019

सन्दर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर के कार्यालय के पत्रांक 1874/1सी० वन, दिनांक 13.12.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के कम में अवगत कराना है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2319/12-1, दिनांक 31.12.2019 द्वारा आपके कार्यालय को प्रस्ताव की 03 प्रतियों में आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया। वन अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1425(1)X-3320/1(154)2020, दिनांक 07.10.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गई। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 3040/12-1, दिनांक 30.10.2021 द्वारा आपके कार्यालय को 03 प्रतियों में प्रेषित की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पुनः आपके कार्यालय को इस पत्र के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(तरुण एस०)

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या

दिनांकित

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

(तरुण एस०)

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

e/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@gmail.com

1859 / 1सी0 (वन)

दिनांक 29/ 09 / 2021

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/42515/2019)

वन अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक सं०-1425 (1)X-3-20/1 (154) 2020 दिनांक 07.10.2020

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग में आग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 8 शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

क्र०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	उत्तर
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) रु० 394200.00 ऑनलाइन चॉलान के माध्यम से दिनांक 17.03.2021 को जमा की जा चुकी है। संलग्न 1- चालॉन की मूल प्रति।
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०एस०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	खण्ड द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०एस०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि रु० 133100.00 ऑनलाइन चालॉन के माध्यम से दिनांक 17.03.2021 को जमा की जा चुकी है। (संलग्न 1 के अनुसार)
	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी। संलग्न 2- एन०पी०वी० की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र मूल में।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 - म्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0 394200.00 एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रु0 133100.00 कुल रु0 527000.00 ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट किये गये चालॉन के माध्यम से दिनांक 17.3.2021 को जमा की गयी है। संलग्न 3- ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त payment history की प्रति।
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। संलग्न 4- जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।
प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अनिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र पूर्व में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या- 763/FP/UK/ROAD/42515/2019 दिनांक 8.09.2020 द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रति के साथ अपर सचिव, वन अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जा चुके हैं। संलग्न 5- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति।
प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा अंसतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राजय सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की
कृपा करें।

संलग्न— अनुपालन आख्या 4 प्रतियों में।

भवदीय

(इं० दिनेश कुमार बिजलवाण)

अधिसूचना अभियन्ता

24/9/2024

24/9

क्रांक 1859 / 1 सी० वन

तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड,
देहरादून।
- 2— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो०नि०वि० देहरादून।
- 3— मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लो०नि०वि० पौड़ी।
- 4— जिलाधिकारी चमोली।
- 5— अधीक्षण अभियन्ता 07वें वृत्त, लो०नि०वि० गोपेश्वर।
- 6— सहायक अभियन्ता प्रथम, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० गौचर।

अधिसूचना अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

गौचर (चमोली)

24/9/2024

24/9

0/

Attach 1

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-03-2021

Agency Name.	TEMPORARY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT GAUCHAR
Application No.	6142515237
MoEF/SG File No.	1(154)/2020
Location.	UTTARANCHAL
Address.	office of the executive Engineer Temporary Division PWD GaucharChamoli
Amount(in Rs)	527300/-

Amount in Words :Five Lakh Twenty-Seven Thousand Three Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896142515237 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may
Email: helpdeskcompa@corpbank.co.in

Print

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बड़ोतरी की जाती हैं तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौघर



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौघर
29/9/2021

सहस्रनाम स्तुति
निर्वाहक ...

योजना का नाम:-

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों / सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर



अधिसूचना अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
29/1/2019 गौचर

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 0.350 हे० वनपंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे० कुल 0.600 हे० सिविल/ वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम- भटोली
तहसील- कर्णप्रयाग
जिला-चमोली

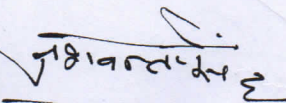
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक के मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे० कुल 0.230 हे० सिविल भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम भटोली द्वारा दिनांक 1/9/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भटोली के ग्रामवासियों को उक्त भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

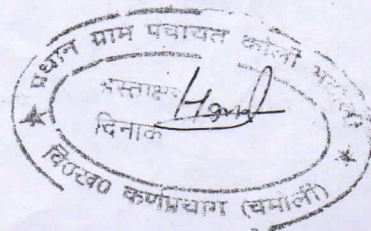
ह०/-
ग्राम सचिव


11/01/2020

प्रति सद्व्यापक
A.E.

01/01/2020

ह०/-
ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

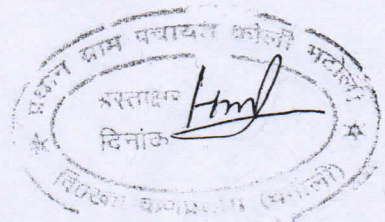
दिनांक 11/3/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम - भटोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हरिसिंह S/O गुनाश सिंह	
2	उपेंद्र सिंह S/O अगसिंह	
3	दयाल सिंह सोबना 121	दयाल सिंह
4	महिला सिंह गोविन्द 12	मान
5	रघुवीर सिंह कलमानी	
6	गुलामाह S/O पन्दा सिंह	321 न सिंह
7	धनराज S/O रमल सिंह	धनराज
8	दुलार सिंह S/O रंगनाथ सिंह	दुलार सिंह
9	विनायक सिंह S/O देवान सिंह	विनायक सिंह
10	अपेक्ष सिंह S/O बलबन्त सिंह	अपेक्ष
11	नरेंद्र सिंह S/O गुनार सिंह	नरेंद्र सिंह
12	चरण सिंह पवार S/O धन सिंह	चरण सिंह
13	भवान सिंह पवार S/O मदन सिंह पवार	भवान सिंह
14	सतेन्द्र सिंह पवार S/O भवान सिंह	सतेन्द्र
15	मान सिंह पवार S/O गवत सिंह	मान
16	कलेश्वरी देवी S/O प्रेम कलेश्वरी देवी	कलेश्वरी देवी
17	भावना देवी S/O शेर सिंह	भावना देवी
18	उमराव सिंह मेरी S/O इन्दर सिंह	उमराव सिंह
19	गुजर सिंह पवार S/O नरसम सिंह	गुजर सिंह
20	बलराम सिंह मेरी S/O बलबन्त सिंह मेरी	बलराम

प्रति स्वीकृत
A.R.
A.E.

ह0/-
ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 0.350 हे० वनपंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे० कुल 0.600 हे० सिविल/ वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम- झुरकण्डे उर्फ भटोली
तहसील- कर्णप्रयाग
जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक के मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 हे० वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे० कुल 0.370 हे० वन पंचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम झुरकण्डे उर्फ भटोली द्वारा दिनांक 21/3/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम झुरकण्डे उर्फ भटोली के ग्रामवासियों को उक्त भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

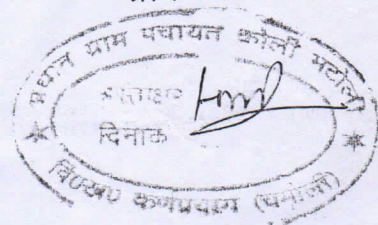
ह०/-
ग्राम सचिव

प्रमाणित किया
ग्राम सचिव

दिनांक 21/3/2019

ह०/-

ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

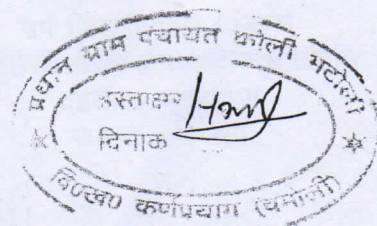
दिनांक 2/3/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम - झुरकण्डे उर्फ भटोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
21	अजन सिंह 510 गजबुरा सिंह नेगी	
22	इशामुल्लाह सिंह 510 जीत सिंह	
23	भूमत सिंह 510 विजया सिंह	
24	अशोक कुमार 510 भादगा नाथ	
25	शिवप्रताप 510 नारायण सिंह	
26	इशामुल्लाह 510 अहमद खान	
27	विजय कुमार 510 देवा देवी	
28	अनिल कुमार 510 विजय कुमार प्रकाश	

ह0 / - 
ग्राम प्रधान

प्रति सन्तोषित
A.B.
A.E.



कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली भटोली तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल भूमि, 0.350 हे० वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे०, अर्थात् कुल 0.600 हे० सिविल / वन पंचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग, गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग, दिनांक 29/05/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवानन्द उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री देवानन्द उपजिलाधिकारी..... अध्यक्ष
- 2- श्री शिवकुमार - उप प्रभागीय वनाधिकारी..... सदस्य
- 3- श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी..... सदस्य
- 4- श्री बी०डी०सी० क्षेत्र..... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.600 हे० सिविल / वन पंचायत भूमि का 0.040 हे० गौचर, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा डिम्मर के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.600 हे० सिविल / वन पंचायत भूमि का 0.040 हे० गौचर को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्षय
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली

प्रतिनिधि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्षय
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

Dated--16.09.2019

No---

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.600 hectares of Civil/ Vanpanchayat land proposed to be diverted in favor of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of motor road "Karanparyag-Nauti-Paithani to Koli-Bhatoli Motor road" in Chamoli district falls within jurisdiction "Bhatoli and Jhurkandai urf Bhatoli, in Karanparyag tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.600 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Bhatoli and Jhurkandai urf Bhatoli', sub-Division level Committee Karanparyag and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

विना अधिकारी

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

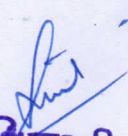
A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Smt. Swati S. Bhadoriya, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 16.09.19 at time 03:00 PM at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 2.840 hect for the construction of motor road "**Karanparyag-Nauti-Paithani to Koli-Bhatoli Motor road**" and forest land 0.600 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanparyag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

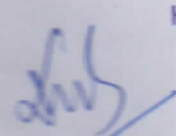
After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 16.09.19


Divisional Forest Officer
Kedamath Wildlife Division
Gopeshwar


District Magistrate cum-Chairman
District Level Committee


District Magistrate cum-Chairman
District Level Committee